

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर 2018—आश्विन 4, शक 1940

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2018

क्र. एफ-65-एनएन-02-2018-पांच-621.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना एफ. 65-01-2015-तीन-नपा-967, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 द्वारा मंदसौर जिले के अंतर्गत नगरपालिका परिषद्, मंदसौर के वार्ड क्रमांक-26 के पार्षद पद पर निर्वाचित अभ्यर्थी, श्रीमती राधिका शास्त्री का नाम “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक 528, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 में अधिसूचित किया गया था.

2. उक्त निर्वाचन के विरुद्ध माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंदसौर में प्रचलित प्रकरण क्रमांक/1/2016 में पारित माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 27-6-2018 द्वारा अभ्यर्थी, श्रीमती राधिका शास्त्री का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया है एवं पार्षद पद के लिये दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी श्रीमती संगीता शैलेन्द्र गिरी गोस्वामी को वार्ड क्रमांक-26, नगरपालिका परिषद्, मंदसौर से पार्षद पद हेतु निर्वाचित घोषित किया गया है.

3. अतः माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंदसौर के आदेश दिनांक 27-6-2018 के पालन में वार्ड क्रमांक-26, नगरपालिका परिषद् मंदसौर की पार्षद, श्रीमती राधिका शास्त्री के स्थान पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अंतर्गत श्रीमती संगीता शैलेन्द्र गिरी गोस्वामी को नगरपालिका परिषद्, मंदसौर के वार्ड क्रमांक-26 के पार्षद के रूप में एतद्वारा निर्वाचित घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

1035